न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 118/2018

अनवान :

1. शिशपाल पुत्र अमरसिह जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. रोहिताश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. शर्मिला पुत्री अमरसिंह पत्नि रामपाल जाति जाट नि0 कणाऊ हाल मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा भादरा (वर्तमान एस.बी.आई.) जरिये शाखा प्रबधंक।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज़0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनचन्द वर्मा : **वादी**

वकील श्री संजीव कुमार कौशिक :**प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 13·6·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 82/81 के खसरा सं0 143 की 4.831 है0 बारानी, खसरा सं0 153 की 4.882 है0 बारानी और ख़सरा नं0 186 की 11.015 है0 बारानी कुल 20.728 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है और रौही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 199/202 के खसरा सं0 613/153 की 1.518 है0 बारानी भी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता को वादी के दादा मलुराम से प्राप्त हुई है। उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है व वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। वाद भूमि पारिवारिक सेंटलमेंट के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहें है प्रतिवादीया सं0 3 वादी की बहिन है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाई वादी और प्रतिवादीगण सं0 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी शिशपाल पुत्र अमरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 82/81

सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 199/202 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण ग्राम कणाऊ प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38 पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता को वादी के दादा मलुराम से प्राप्त हुई है। उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण ग्राम कणाऊ प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38 पेश की है उनमें वाद भूमि वादी के दादा मलूराम वल्द ज्ञाना के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में अमरसिंह के वारिसान में पत्नि विमला, दो पुत्र शिशपाल, रोहिताश ब एक पुत्री शर्मिला होना व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 82/81 के खसरा सं0 143 की 4.831 है0 बारानी, खसरा सं0 153 की 4.882 है0 बारानी और खसरा नं0 186 की 11.015 है0 बारानी कुल 20.728 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है और रौही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 199/202 के खसरा सं0 613/153 की 1.518 है0 बारानी भी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 118/2018

अनवान :

1. शिशपाल पुत्र अमरसिह जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. रोहिताश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. शर्मिला पुत्री अमरसिंह पत्नि रामपाल जाति जाट नि0 कणाऊ हाल मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा भादरा (वर्तमान एस.बी.आई.) जरिये शाखा प्रबधंक।

– प्रतिवादीगण.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री संजीव कुमार कौशिक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 82/81 के खसरा सं0 143 की 4.831 है0 बारानी, खसरा सं0 153 की 4.882 है0 बारानी और खसरा नं0 186 की 11.015 है0 बारानी कुल 20.728 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है और रौही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 199/202 के खसरा सं0 613/153 की 1.518 है0 बारानी भी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क ब स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़